केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/47 दिनांक: 20.02.2018

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00046
CICOM/R/2018/00010

अपीलकर्ता : सुश्री नीरजा,
द्वारा- श्री शफीक अहमद, एडवोकेट,
न्यू लायर्स चैम्बर सं. 404,
उच्चतम न्यायायल, नई दिल्ली ।
मो0 – 9968876357.

निर्णय की तारीख: 20.02.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	23.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	04.01.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	05.02.2018, 17.02.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 23.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपीलों/शिकायतों के रजिस्ट्रेशन तथा फेसीलेशन मेमो से संबंधित कार्य हेतु शमीम टेकमांइड को हर माह किए गए भुगतान से संबंधित सूचना की मांग की गई थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सूचना आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आज तक कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है इसलिए जन सूचना अधिकारी को आर.टी.आई. ऐक्ट,2005 की धारा 20 के तहत दंडित किया जाना चाहिए।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन में अलग अलग पता दिया गया है । साथ ही यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 23.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 04.01.2018 को ही पत्र सं. CICOM/R/2018/00010/CR-1 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है जो कि बिल्कुल सही है । अपीलकर्ता द्वारा दाखिल कई आर.टी.आई. आवेदनों के संदर्भ में यह भी संज्ञान में आया है कि कई आवेदन से संबंधित सूचनाएं केन्द्रीय सूचना आयोग में अवितरित वापस आ गई है । **अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा प्रेषित सूचना की प्रतिलिपि पुनः संलग्न है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

21/02/18

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
21 FEB 2018
D. No.........
Initials.........